

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2013 (Insertion of new articles 16A and 16AA).

श्री हंसराज गं. अर्हीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरुःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अर्हीर : महोदय, मैं विधेयक पुरुःस्थापित करता हूँ।
